लोकपाल और लोकआयुक्त का इतिहास विश्व व भारत

दयानन्द*

नागरिको की शिकायतों का निपटारा करने के लिए दुनियॉ की सर्वप्रथम जनतांत्रिक संस्थान ''स्केडिनेवियन इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑम्बुडसमैन'' थी, औम्बुडसमैन की संस्थान का निर्माण सर्वप्रथम स्वीडन में 1809 में हुआ था।

(i) ओम्बड्समेन का अर्थ है—सार्वजनिक ड्यूटी पर तैनात एक सालिसिटर (ओम्डसमैन के अनेक नाम) यह आम्बड शब्द स्वीडिश भाषा का है।

(ii) ओम्बड्समेन को विभिन्न देशो में अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे—भारत में इसे लोकपाल/लोकायुक्त कहा जाता है। स्वीडन में इसे न्यायिक ओम्बड्समैन, इंगलैण्ड में इसे संसदीय आयुक्त, न्यूजीलैण्ड में संसदीय जॉच आयुक्त कहा जाता है।

(iii) विभिन्न देशों में औम्बड्समेन की स्थापना —फिनलैण्ड 1909, नार्व 1963, डेनमार्क 1953, ल्सूजीलैण्ड 1952, ब्रिटेन 1965/66—वर्तमान में भारत सहित 12 देशों ने अपनाया । भारत में इसे 1968, 1971, 77, 85, 89, 96, 98, 2001, 2011, 2013 (अधिनियम 2013 अन्तिम रूप से कानून बना) 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति प्रणवमुर्खीज के हस्ताक्षर होने पर 5 से राज्य सभा में प्रस्तावित किया गया था, जिसने 17 दिसम्बर 2013 लोकसभा ने पद की स्थापना अभी नही हो पायी है। इसे पारित करवाने हेतु अन्ना हजारे टीम ने आन्दोलन कर सरकार पर दबाव बनाया था परन्तु उनके द्वारा रखी गयी अनेक मांगो को खारिज कर दिया गया है।

(iv) विभिन्न देशों में औम्बड्समेन की स्थिति—

(1) स्वीडन —विश्व में सर्वप्रथम औम्बड्समैन की स्थापना 1809 को स्वीडन में की गयी थी, इसे न्यायिक ओम्बड्समैन कहा जाता है। यहा पर सभी प्रकार के भ्रष्टाचारो की खोज करता है। वह नागरिको से प्राप्त शिकायतो की जॉच पडताल करता है। सम्बन्धी प्रतिवेदन संसदन में प्रस्तुत करता है। यहां इसका निर्वाचन संसद के एक निर्वाचक मण्डल द्वारा किया जाता है। तथा उसी के द्वारा इसे हटाया जा सकता है। इसका कार्यकाल 4 वर्ष होता है। ओम्बड्समैन सामान्यतः ख्याति प्राप्त विधिवेता होता है। इसकी सिफारिश से सरकार द्वारा मान ली जाती हैं। वह न्यायाधीशों सहीत किसी भी भ्रष्ट अधिकारी के विरूद्ध मुकदमा चला सकता है।

सहायक प्रोफेसर राजनीति विज्ञान जी0 आर0 मैमोरियल पी.जी. महाविद्यालय मेहाड़ा जाटूवास खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज0

(2) डेनमार्क 1953 —

यहां संसद द्वारा प्रत्येक साधारण निर्वाचन के बाद नियुक्त किया जाता है। वह संसद द्वारा विश्वास खो देने पर पद से हटाया जा सकता है। वह अपना वार्षिक प्रतिवेदन सदन में पेश करता है।

(3) ब्रिटेन—1966 —

ब्रिटेन में इसे संसदीय आयुक्त कहा जाता है। इसकी नियुक्ति ब्रिटिश ताज द्वारा की जाती है तथा संसद के दोनों सदनों के प्रस्ताव पर ताज द्वारा पदमुक्त कर दिया जाता है (यहां 65 वर्ष की आयु तक सदाचार—पर्यन्त अपने पद पर बना रहता है।)

(4) न्यूजीलैण्ड—1952 —

संसदीय शासन प्रणाली वाला प्रथम देश है, जिसने औम्बड्समैन को 1952 में अपनाया था।

(v) औम्बड्समेन पद की स्वतंत्रता व क्षेत्राधिकार—

जहां तक ओम्बड्समैन की नियुक्ति का प्रश्न है। वह केवल सत्ताधारी दल की इच्छा का व्यक्ति न होकर अधिकांश देशों में सम्पूर्ण सदन के नेता से परामर्श करने के पश्चात उसका नाम संसद मे नामजद करता है। वह दलीय राजनीति से उपर होता है। अपनी रिर्पोट संसद मे पेश करता है। ब्रिटेन में सरकार द्वारा सौपी गयी विभागो की सूची से सम्बन्धी विषयो मे शिकायत की जा सकती है — रक्षा व पुलिस विभाग, स्वायतशासी संस्थाऐ इससे बाहर हैं।

फिनलैण्ड, स्वीडन में गम्भीर अपराध होने पर सिविल अधिकारियों पर मुकदमा चला सकता है। परन्तु नार्वे, न्यूजीलैण्ड, इंगलैण्ड में ऐसा नही है।

(vi) औम्बड्समेन का भारतीय प्रतिमान लोकपाल व लोकायुक्त—

सर्वप्रथम भारत में लोकपाल/लोकायुक्त की मांग राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति ने अपनी रिर्पोट में की फिर अप्रैल 1963 में लोकसभा के निर्दलीय सदस्य डां0 लक्ष्मीमल सिंघवी ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसको पीपुल्स प्राक्यूरेटर नाम दिया गया था। परन्तु सांसदों का ध्यान आकृत नही कर सका। इसके पश्चात गृह मंत्री की विशेष सलाहकार समिति ने विचार किया तब तत्पश्चात 1967 में भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिर्पोट में औम्बड्समैन की स्थापना का प्रस्ताव पेश किया गया था। इसकी सिफारिश के परिणाम स्वरूप भारत में इसने एक लम्बा सफर तैय किया और इस प्रकार से है—1968, 1971, 1977, 1985, 1989, 1996, 1998, 2001, 2011, 2013—ग्यारह बार विधेयक पेश किया गया जो अन्तिम रूप से 1 जनवरी 2014 को कानून बन सका, संस्थान की स्थापना अभी बाकी है।

(vii) लोकपाल विधेयक की संसदीय यात्रा—

प्रथम प्रयास—हमारी सरकार द्वारा 1968 में संसद में प्रस्ताव पेश किया गया, जो बाद में संसद की संयुक्त समिति के विचारार्थ प्रेषित किया गया। इस समिति ने

अपनी रिर्पोट 1969 में पेश की। 29 अगस्त 1969 में लोकसभा ने पारित कर दिया, इसके बाद राज्य सभा में पेश किया गया परन्तु इसी दौर में संसद भंग हो गई (27 दिसम्बर 1969)

द्वितीय प्रयास–एक नया बिल 1970/11 अगस्त 1971 को सदन में प्रस्तुत किया गया किन्तु निर्णय नही हो पाया।

तीसरा प्रयास– 1971 में जनता पार्टी की सरकार बनी उसने नया बिल पेश किया परन्तु उससे पूर्व की लोकसभा भंग हो गयी।

लोकपाल विधेयक 1977 की विशेषता –

(i) प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे में होगा

(ii) जांच के लिए लोकपाल की अपनी प्रशासनिक व्यवस्था होगी

(iii) शिकायत किये जाने के 5 वर्ष पूर्व तक के मामलों की जांच लोकपाल द्वारा की जा सके

(iv) प्रधानमंत्री सहित मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद लोकपाल के क्षेत्राधिकार में होगे

(v) लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा सभापति, लोकसभा में विपक्ष के नेता से परामर्श करके कार्यकाल 5 वर्ष अवकाश प्राप्त होने पर लाभ का पद नही । 5000 वेतन प्रतिमाह, किसी गम्भीर दुराचार एवं अयोग्यता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा आदेश मुक्त किया जा सकता है । संसद द्वारा 2/3 बहुमत उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का मिलने पर लोकपाल कार्य निष्पादन पर प्रतिवर्ष राष्ट्रपति के पास एक समेकित प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

चौथा प्रयास 1985– राजीव सरकार द्वारा किया गया 26 अगस्त 1985 को सरकार ने व्यापक विधेयक लाने का तर्क देते हुए विधायक वापस ले लिया गया।

1985 के विधेयक की विशेषताऐं–(i) लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात की जायेगी। जो ऐसा व्यक्ति हो जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो। वेतन भत्ते/सेवा शर्तें, पेंशन वही होंगे जो मुख्य न्यायधीश की है।

5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति से पूर्व सिद्ध कदाचार/असमर्थ के आधार पर राष्ट्रपति को पद मुक्त किया जा सकता है। जनप्रतिनिधियों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का एक मौका दिया जायेगा। जांच बन्द कमरे में होगी। किसी प्रक्रिया के सम्बन्ध में निर्णय लोकपाल द्वारा किया जायेगा। जांच के अन्त में लोकपाल या तो परिवाद को रद्द कर सकता है। और मामले को बन्द करके परिवादी जनसेवक और सक्षम अधिकारी को सूचना दे सकता है। लिखित प्रतिवेदन में अपनी सिफारिशें सक्षम अधिकरी(प्रधानमंत्री) को प्रस्तुत कर सकता है। एक समेकित रिर्पोट राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति 90 दिन के अन्दर संसद के दोनों सदनों में पेश करवायेगा।

आलोचना विधेयक की–(i) प्रधानमंत्री विधेयक की परिधि मे नही (ii) सांसदों को भी इससे बाहर रखा गया। (iii) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, राज्यपाल,

चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष + सदस्य, मुख्य न्यायधीश आदि जांच दायरे से बाहर रखे गये हैं। + मुख्यमंत्री भी बाहर।

लोकपाल विधेयक 1989 –राष्ट्रीय मौर्चा सरकार (वी. पी. सिंह) सरकार द्वारा नयी लोकसभा के प्रथम सत्र में दिसम्बर 1989 में लोकपाल नियुक्त करने के इरादे से लोकसभा में एक विधेयक पेश किया, जो कानून नहीं बन सकता। इस विधेयक की प्रमुख विशेषताऐ इस प्रकार से थी –

(i) लोकपाल संस्थान 3 सदस्य की होगी।

(ii) प्रधानमंत्री लोकपाल जांच दायरे मे होगा।

लोकपाल की नियुक्ति सेवा शर्तें, वेतन–भत्ते, योग्यता सभी पूर्वर्ती लोकपाल जैसी होगी।

इस लोकपाल की कमियॉ –(i) शिकायत कर्त्ता को 1000 हजार रूपये की राशि व आरोपो के सम्बन्ध में शपथ पत्र देना होगा। आरोप झुठे पाये जाने पर 1 साल की सजा व 3000 रूपये जुर्माना देना होगा तथा जांच बन्द कमरे में होगी।

लोकपाल विधेयक 1996 –देवगौडा सरकार द्वारा 13 दिसम्बर 1996 को लोकसभा में पेश किया गया। संसदीय समिति की रिर्पोट पर संसद कुछ निर्णय ले पाती इसी दौर में 4 दिसम्बर 1997 को लोकसभा भगं हो गयी। इस विधेयक की विशेषताऐं–(i) लोकपाल बहुसदस्य संस्थान होगा। अध्यक्ष के अलावा 3 सदस्य होगें। (ii) लोकपाल नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिसों पर की जायेगी। जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगें तथा निम्न सदस्य लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, विपक्ष के नेता लोकसभा + राज्यसभा मे आदि।

लोकपाल अध्यक्ष सर्वाच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, पूर्व या वर्तमान सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हो।

अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटाने का तरीका – साबित कदाचार व असमर्थ साबित होने पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जायेगा। जिसकी जांच सर्वोच्च न्यायल्य का मुख्य न्यायाधीश करेगा या उसके द्वारा नाम अन्य न्यायाधीश लोकपाल के जांच दायरे में होगें– प्रधानामंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, सांसद, लोकसेवक होगें तथा उच्च शासनाध्यक्ष जांच दायरे से बाहर होगें।

शिकायत करने वाले की शिकायतें झुठी पायी जाने पर तीन वर्ष का कारावास व 50 हजार जुर्माना देना होगा।

लोकपाल विधेयक 1998 –नया लोकपाल विधेयक 1998 अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा 3 अगस्त 1998 को पेश किया गया किन्तु समय से पूर्व ही लोकसभा का विघटन 26 अप्रैल 1999 को हो गया।

इस विधेयक की प्रमुख विशेषताऐं –(i) प्रधानमंत्री लोकपाल जांच दायरे में होगा किन्तु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, CAG, मुख्य निवार्चन आयुक्त व सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, UPSC के अध्यक्ष व सदस्य जांच दायरे से बाहर होगें।

(ii) लोकपाल विधियक 3 सदस्यी होगा।
(iii) कार्यकाल 3/70 जो भी पहले समाप्त हो
(iv) नियुक्ति सात सदस्य चयन समिति के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी। चयन समिति में प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, लोकसभा/राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता होगें।
(v) एक बार लोकपाल अध्यक्ष/सदस्य बन जाने पर पुनः नियुक्ति नही। राज्य और केन्द्र सरकार मे लाभ के पद पर नियुक्ति नहीं होगीं ।
(vi) राष्ट्रपति द्वारा दुर्व्यवहार या असक्षमता सिद्ध होने पर पद से हटाया जा सकेगा।
(vii) 10 वर्ष के भीतर की गयी शिकायतों पर भी विवाद करने का अधिकार लोकपाल को होगा।
(viii) सांसदों को शपथ लेने के 90 दिन के भीतर अपने परिवार व सम्पति का विवरण देना होगा। इसके बाद प्रतिवर्ष वित्त वर्ष भी पहली तिमाही में ऐसा करना होगा।
(ix) शिकायत झुठी पाये जाने पर 3 साल की कैद। 50 हजार जुर्माना देना होगा।
(x) प्रधानमंत्री को भी जांच दायरे में रखा गया है।

– विधेयक 2001 – प्रधानमंत्री अटल जी ने फिर दूसरी बार अपने दूसरे कार्यकाल में नया लोकपाल विधेयक पेश किया। 14 अगस्त 2001 को, लेकिन ये विधेयक भी कानून नही बन सका। फरवरी 2004 में लोकसभा का विघटन हो गया। इस विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ–

(i) प्रस्तावित लोकपाल त्रि सदस्यी होगा–अध्यक्ष + 2 सदस्य।
(ii) अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश/सदस्य उच्चतम न्यायालय के सेवारत/पूर्व न्यायाधीश होगें।
(iii) नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी, सात सदस्यी चयन समिति की सिफारिस पर, जिसके अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होगें। कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले समाप्त हो । दुर्व्यवहार/अक्षमता के आधार पर सावित होने पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जायेगा। आरोप की जांच मुख्य न्यायाधीश व दो अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनी समिति करेगी।
(iv) प्रधानमंत्री, सांसद, मंत्री परिषद, सरकारी कर्मचारी जांच दायरे में होगें।

लोकपाल विधेयक 2011 –प्रधानमंत्री मनमोहन के नेतृत्व में बनी कांग्रेस सरकार द्वारा 28 जुलाई 2011 को नया लोकपाल विधेयक लोकसभा मं प्रस्तुत किया गया, यह 9वां विधेयक था।

इस विधेयक की विशेषताएँ –(i) लोकपाल एक बहुसदस्य निकाय होगा, अध्यक्ष + 8 सदस्य = 9 अध्यक्ष उच्चतमन्यायालय का पीठासीन न्यायाधीश या सेवा निवृत मुख्य न्यायाधीश होगा। (ii) अध्यक्ष व सदस्यो का कार्यकाल 5 वर्ष होगा (iii) चार सदस्य न्यायिक पृष्ठ भूमि से तथा शेष अन्य सामाजिक क्षेत्र से, जिनका अनुभव 25 वर्ष से कम न हो (iv) लोकपाल का चयन प्रधानमंत्री की

अध्यक्षता में बनी 9 सदस्य चयन समिति द्वारा (v) उच्चतम न्यायालय की राय के बाद राष्ट्रपति पद से हटा सकेगा (vi) प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उसके खिलाफ जांच नही (vii) पूर्व प्रधानमंत्री, केन्द्रीय मंत्री, सांसद, अपर सचिव से उपर के अफसरों की लोकपाल जांच कर सकेगा (viii) लोकपाल सजा नही सुना सकेगा परन्तु मामले को न्यायालय में ले जायेगा (ix) भ्रष्ट नौकरशाहों की सम्पति जब्त करने का अधिकार होगा (x) धार्मिक संगठनों को लोकपाल दायरे से बाहर रखा गया।

कमियां –(i) प्रधानमंत्री को लोकपाल जांच दायरे से बाहर रखा गया
(ii) 7 साल से अधिक मामले जांच दायरे से बाहर

Note– अन्ना हजारे व सिविल सोसायटी ने इस सरकारी ज्ञापन को जनता के साथ क्रूर मजाक बताते हुए नामंजूर कर दिया।

लोकपाल विधेयक 2013 –मनमोहन जी के नेतृत्व में बनी (सप्रसंग सरकार) द्वारा दूसरी बार नया लोकपाल विधेयक संसद में पेश किया गया। जिसको सर्वप्रथम राज्य सभा द्वारा 17 दिसम्बर 2013 तथा लोकसभा द्वारा 18 दिसम्बर 2013 को पारित कर दिया गया। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति द्वारा मंजुरी मिलने पर कानून बन गया। अब इसकी स्थापना बाकी है। लगभग 2 वर्ष पूर्व 2011 को लोकसभा ने पारित कर दिया था परन्तु राज्य सभा द्वारा अनके संशोधन किये जाने पर नियमानुसार पुनः पारित किया गया।

विशेषताएँ –(i) प्रधानमंत्री का पद लोकपाल के दायरे में होगा परन्तु रक्षा, विदेशी मामले, परमाणु ऊर्जा आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मुद्दे लोकपाल के दायरे से बाहर है।
(ii) प्रधानमंत्री के विरूद्ध मुकदमा दायर करने हेतु लोकपाल की 2/3 बैंच की मंजूरी आवश्यक होगी।
(iii)C.B.I. निर्देश की नियुक्ति एक चयन समिति द्वारा जिसमे प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष तथा मुख्य न्यायाधीश होगें। सीबीआई की लोकपाल शाखा की निगरानी लोकपाल कर सकेगा।
(iv) भ्रष्ट तरीके से कमाई सम्पति को लोकपाल जब्त कर सकेगा (v) भ्रष्टाचार के आरोपी सरकारी कर्मियों पर मुकदमे के साथ दोषी अफसरों के निलंबन का अधिकार होगा (vi) कोई भी व्यक्ति जनसेवकों के भ्रष्टाचार की शिकायत लोकपाल से कर सकेगा (vii) जान–बूजकर झूठी शिकायतें करने वालो पर भी लोकपाल मुकदमा दर्ज कर सकेगा (viii) लोकपाल के दायरे में अथोलिखित पांच आयेगें –(a) प्रधानमंत्री (कुछ शर्तो के साथ)(b) सरकारी फण्ड से संचालित सोसायटी व ट्रस्ट (विदेशो से चंदा लेने वाले NGO)(c) सभी केन्दीय मंत्री व सांसद (d) समूह A, B, C, D, भू अधिकारी व कर्मचारी (e) मुख्यमंत्री, विधायक, राज्य मंत्री भी जॉच के दायरे मे।
(ix) लोकपाल 7 सदस्यीय होगा और इनमें 4 पूर्व न्यायाधीश होगें (x) सदस्यों की पद से हटाने की कार्यवाह तभी प्रभावी मानी जायेगी जब सर्वोच्च न्यायालय

अंतरिम फैसला देगा (xi) लोकपाल का चयन करने वाले मण्डल में प्रधानमंत्री के अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोक सभा अध्यक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष शामिल होगें। उपरोक्त 4 सदस्य लोकपाल चयन मण्डल के पांचवें सदस्य को नामित करेगें और राष्ट्रपति भी मंजूरी के बाद ही पांचवें सदस्य की नियुक्ति करगा।

2 राज्य स्तर पर लोकायुक्त – भारत में राज्य स्तर पर सबसे पहले लोकायुक्त की स्थापना 1971 में महाराष्ट्र में हुई। हालांकि इसे पहले विधेयक उडीसा में 1970 में पारित कर दिया गया था, फिर उडीसा में अधिनियम 1983 में लागू हुआ था। (i) लोकायुक्त की संरचना सभी राज्यों में एक समान नही है। (ii) लोकायुक्त व उपलोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। (iii) योग्यताए निश्चित नही है। (iv) अधिकतर राज्यों में लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हों तथा दूसरी बार नियुक्ति का पात्र नही होगा (v) लोकायुक्त के अधिकारों का क्षेत्र भी सभी राज्यों में एक समान नही है जैसे –(क) उत्तर प्रदेश, हिमाचल, असम में लोकायुक्त को अपनी ओर से पहल करने का अधिकर नही है। (ख) 6 राज्यों में मुख्यमंत्रियों को लोकायुक्त की जॉच परिधि से बाहर रखा गया है – उडीसा ऐसा पहला राज्य था, जिसमे मुख्यमंत्री को जांच दायरे में रखा गया लेकिन बाद मे इसे बाहर कर दिया (ग) केरल व उडीसा को छोड़कर शिकायत कर्त्ता को लोकायुक्त को फीस (शुल्क) नही देना पड़े (घ) केरल में शिकायत कर्त्ता को 500 रूपये जमा करवाना पड़ता है। (ड)झुठी शिकायत करने पर राजस्थान, आन्ध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल जैसे राज्यों में दण्ड की विशेष रूप से व्यवस्था की गई है ।

(vi) कर्नाटक जैसे राज्य में लोकआयुक्त को अधिक शक्ति अधिकार प्राप्त है। आठवें अखिल भारतीय लोकआयुक्त सम्मेलन (27 दिसम्बर 2004) में राष्ट्रपति ए. पी. जे. अब्दुल कलाम ने इसकी तारीफ की थी। कर्नाटक के लोकायुक्त एवं संतोष हेगडे ने अवैध खनन जांच रिर्पोट में मुख्यमंत्री येदयुरप्पा व उसके परिकरजन, मंत्रिमण्डल के 4 मंत्री तथा 787 अफसरों को शामिल किया था। तदोपरान्त मुख्यमंत्री को 31 जुलाई 2011 को त्याग पत्र देना पडा था।

(vii) लोकायुक्त की सिफाारिश सलाहकारी होती है।

(viii) यह राज्य विधान सभा के प्रति उतरदायी है।

(ix) वर्तमान भारत में 29 राज्यों में से मात्र 18 राज्यों को लोकायुक्त व उपलोकायुक्त पद स्थापित किये जा चुके हैं तथा दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेश, हरियाणा सरकार ने इसे निरस्त कर दिया है

(1) उड़ीसा–कानून बना – 1970
(2)महाराष्ट्र–स्थापना – 1971 – सबसे पहले
(3)राजस्थान – 1973
(4)बिहार – 1974
(5)उत्तर प्रदेश – 1975

(6)मध्यप्रदेश – 1981
(7)आन्ध्रा प्रदेश – 1983
(8)हिमाचल – 1983
(9)कर्नाटक – 1985
(10)असम – 1985
(11)गुजरात – 1986
(12)पंजाब – 1995
(13)दिल्ली – 1995
(14)केरल – 1999
(15)झारखण्ड – 2001
(16)छतीसगढ़ – 2002
(17)हरियाणा – 2002
(18)उत्तराखण्ड – 2002
(19)गोवा – 2011

Note– दिल्ली एक मात्र केन्द्र शासित प्रदेश है जहां लोकायुक्त है

Note– गोवा में सबसे बाद में स्थापना हुई है

(x) जिन राज्यों में लोकायुक्त नही है–अरूणाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, तमिलनाडू, त्रिपुरा, पं0 बंगाल,

भारत में लोकपाल /लोकायुक्त संस्थाओ का आलोचनात्मक मूल्यांकन –

न्यायाधीश पी वी मुखर्जी के अनुसार लोकपाल भारतीय संविधान की मौलिक आत्मा के विपरीत है। इसने इसको खतरनाक, आडम्बरी, तानाशाह की यादगार कहा–लोकपाल भारतीय संविधान के अनुरूप हो ही नहीं सकता। यह न्यापालिका, संसद/न्यायपालिका को बदनाम कर देगा। जब पूर्व में स्थापित केन्द्रीय सतर्कता आयोग, सार्वजनिक शिकायतों का आयुक्त, प्रशासनिक विभाग/CBI आदि निगरानी नहीं रख पा रहें तो लोकपाल कौनसा जादू कर देगा। जो एक साथ भ्रष्टाचार खत्म कर देगा। लोकपाल/लोकायुक्त जैसी संस्थान छोटे देशों में ही सफल हो सकते हैं। जहॉ जनसंख्या कम हो जनता पूर्णतया शिक्षित है। भारत जैसे विशाल देश में सम्भव नही है। आम जनता शिकायतों की भरमार कर देगी। अधिकांश झुठी होगी, जिसका निर्णय रखना कठीन आक्षेप है। भारत में उच्च पदों में भ्रष्टाचार देखा जाता, इस पद का राजनीतिक दुरूपयोग भी नही होगा, इसकी गारंटी कौन देगा।

संदर्भ–सूची–

(i) भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था वैदिक प्रकाशन–इलाहाबाद
(ii) भारतीय शासन एवं राजनीति–साहित्य भवन प0 आगरा
(iii) राजनीति विज्ञान एक समग्र अध्ययन राजेश मिश्रा–मुखर्जी नगर–नई दिल्ली
(iv) भारतीय राजव्यवस्था–एम लक्ष्मीकांत–M.C. Graw Hill Education–New Delhi